[27/7/2017]
तारांकित - 3028

प्रश्न सं. [क्र. 3028]

1

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

सत्र : फरवरी - मार्च 2017

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **28/02/2017**

वर्ग : 4 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **07/03/2017** विभाग का नाम : **पंचायत और ग्रामीण विकास**

विषय : **पेयजल परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति।**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : 4379) **श्री यादवेन्द्र सिंह**

क्या **पंचायत मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) प्रश्नोत्तरी दिनांक 08.12.2016 में मुद्रित अता. प्रश्न संख्या 26 (क्रमांक 280) के परिप्रेक्ष्य में क्या आवंटन प्राप्त हो गया यदि नहीं तो बिना आवंटन के कार्य कराने के लिए कौन उत्तरदायी है और कब तक आवंटन प्राप्त कर पेयजल परिवहन की राशि परिवहनकर्ता को भुगतान कर दी जावेगी बताएं। (ख) अब तक भुगतान न करने के लिए कौन दोषी है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी बताएं।

पंचायत मंत्री(श्री गोपाल भार्गव): (क)जी नहीं। सामान्य तौर पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान जिन-जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का गंभीर संकट व्याप्त होता हैं। वहाँ व्यापक जनहित में पेयजल के परिवहन हेतु राहत आयुक्त से आवंटन के प्राप्त होने की प्रत्याशा में ग्राम पंचायतों को निर्देशित कर विधिवत पेयजल परिवहन प्रारंभ कर दिया जाता हैं। नागौद एवं उचेहरा विकासखण्ड के कुछ ग्रामों में उपरोक्तानुसार गंभीर पेयजल संकट होने से ग्राम पंचायतों को पेयजल परिवहन के निर्देश दिये गये। पेयजल परिवहन की राशि के आवंटन हेतु राहत आयुक्त को पत्र भेजा गया है। आवंटन अभी प्राप्त नहीं हुआ हैं। इसलिए किसी के भी उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं उठता। आवंटन प्राप्त होते ही पेयजल परिवहनकर्ताओं को पेयजल परिवहन की राशि भुगतान की जा सकेगी।**(ख)**प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

2

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
प्रश्न
सत्र : दिसम्बर, 2016

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **01/12/2016**

वर्ग : 4 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **08/12/2016** विभाग का नाम : **पंचायत और ग्रामीण विकास**

विषय : **पेयजल परिवहन व्यय का भुगतान ।**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : 280) **श्री यादवेन्द्र सिंह**

क्या **पंचायत मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या नागौद विधान सभा क्षेत्र के नागौद एवं उचेहरा विकासखण्ड के अंतर्गत पेयजल परिवहन हेतु ग्राम पंचायतों को निर्देश दिये गये थे, उक्त निर्देश के परिपालन में ग्राम पंचायतों द्वारा पेयजल संकट को दूर करने हेतु पेयजल का परिवहन किया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन पंचायतों के पेयजल परिवहन व्यय की राशि संबंधित पंचायतों को शासन द्वारा आवंटित नहीं की गई जिससे पेयजल परिवहन का व्यय भुगतान नहीं किया जा सका ? पृथक-पृथक पंचायतवार विवरण दें ? बकाया भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? (ग) नागौद-उचेहरा, मझगवां विकासखण्ड जिला सतना में मुख्यमंत्री आवास योजना, इन्द्रावास योजना के तहत विगत 5 वर्षों में कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया और कितना शेष है ?

पंचायत मंत्री(श्री गोपाल भार्गव):

(क)जी हां।(ख)जानकारी **परिशिष्ट-"क"** अनुसार। राहत आयुक्त विभाग से राशि की मांग की जानकारी **परिशिष्ट-"ख"** अनुसार।आवंटन प्राप्त होते ही बकाया भुगतान कर दिया जावेगा।(ग)जानकारी **परिशिष्ट-"ग"** अनुसार ।

280 परिषिष्ट-"क", "ख" एवं "ग".pdf View File